सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00138

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा.गुंजन सोनी आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 41/2019

1. पूजा पत्नी श्री रूपक जग्गा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अपीलार्थिया पूजा
2. भीका राम चौधरी अति0 चार्ज (सीडीपीओ) श्रीकरनपुर

आदेश दिनांक : 10.01.2020

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 03 केसरीसिंहपुर में कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी। प्रार्थीया का पति नशेड़ी प्रवृति का है और प्रार्थीया की सास व देवर सचिन जग्गा प्रार्थीया से रंजिश रखते है और प्रार्थीया व प्रार्थीया का पुत्र को दिनांक 23.07.2019 को मारपीट कर घर से निकाल दिया था इस पर प्रार्थीया ने 7 दिवस की छुटटी का प्रार्थना पत्र माननीया सुपरवाईजर महोदय कुलदीप कौर को देकर अपने मायके हनुमानगढ जक्शन अपने माता पिता के पास चली गई थी। इसके बाद भी जब प्रार्थीया को केसरीसिंहपुर ससुराल में बसने नहीं दिया तो प्रार्थीया ने सुपरवाईजर महोदय को दिनांक 31.07.2019 को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए मोबाईल पर सुचना दी तो सुपरवाईजर महोदय ने आश्वासन दिया कि आपकी छुटट्ी मंजुर हो जावेगी इसके बाद प्रार्थीया ने वाट्सऐप पर सूचना दी थी। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर ने प्रथम नोटिस दिनांक 14.08.2019, द्वितीय नोटिस दिनांक 21.08.2019 व तृतीय एवं अन्तिम नोटिस दिनांक 29.08.2019 को जारी किये गये जिसकी तामील प्रार्थीया के देवर सचिन से करवाई गई जो प्रार्थीया से रंजिश रखता है और प्रार्थीया को इस पद से हटवाना चाहता था जिसने प्रार्थीया को कोई सुचना नही दी जबकि सुपरवाईजर महोदय को भलीभांति विदित था कि ससुराल वालों ने प्रार्थीया को घर से निकाल रखा है और हनुमानगढ अपने माता–पिता के पास है और ससुराल वालो द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप प्रताड़ित किया गया है जिससे प्रार्थीया बीमार चल रही है और इसके बावजूद भी सचिन (देवर) से नोटिस की तामील करवाई गई ताकि प्रार्थीया को हटाया जा सकें। प्रार्थीया को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और प्रार्थीया को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा ना ही नोटिस चस्पा किया गया। प्रार्थीया दिनांक 04.09.2019 को सुपरवाईजर से सम्पर्क किया गया तो डयुटी पर दिनांक 12.09.2019 को आने को कहा और एक खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाये गये और कहा की इस पर तेरी छुट्टीयां मंजुर करवानी है इसी विश्वास पर प्रार्थीया ने खाली पेज पर हस्ताक्षर कर दिया। दिनांक 12.09.2019 को जब प्रार्थीया डयुटी पर गई तो कार्यालय आदेश कमांक 6451 दिनांक 12.09.2019 मानदेय पर से हटाये जाने का दिया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीया जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रही बल्कि मजबुरीवंश अनुपस्थित थी। प्रार्थीया को नोटिस का कोई इलम नहीं करवाया गया। प्रार्थीया के सुसराल पक्ष ने रंजिश के कारण साजिश रचते हुए घर से निकाल दिया और स्वयं ही नोटिस प्राप्त करके प्रार्थीया को हटवाया गया। प्रार्थीया के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है प्रार्थीया के एक छोटा लड़का है जिसकी परवरीश करना प्रार्थीया के उपर भार है। प्रार्थीया व अपने बच्चे का भरणपोषण लिखाई पढ़ाई का वहन प्रार्थीया इस मानदेय से ही कर पाती है अन्य कमाई का कोई साधन नहीं है। प्रार्थीया भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं दोहरायेगी और अपने कर्तव्य का पुरी तरह से पालन करेगी। लिहाजा अपील विरूद्व आदेश कमांक 6451 दिनांक 12.09.2019 को निरस्त कर आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के पद पर पुनः नियुक्ति दिलाये तथा प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने बहस में बताया कि प्रार्थीया आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 03 केसरीसिंहपुर में कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी। प्रार्थीया का पति नशेड़ी प्रवृति का है और प्रार्थीया की सास व देवर सचिन जग्गा प्रार्थीया से रंजिश रखते है और प्रार्थीया व प्रार्थीया का पुत्र को दिनांक 23.07.2019 को मारपीट कर घर से निकाल दिया था इस पर प्रार्थीया ने 7 दिवस की छुटटी का प्रार्थना पत्र माननीया सुपरवाईजर महोदय कुलदीप कौर को देकर अपने मायके हनुमानगढ जक्शन अपने माता पिता के पास चली गई थी। इसके बाद भी जब प्रार्थीया को केसरीसिंहपुर ससुराल में बसने नहीं दिया तो प्रार्थीया ने सुपरवाईजर महोदय को दिनांक 31.07.2019 को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए मोबाईल पर सुचना दी तो सुपरवाईजर महोदय ने आश्वासन दिया कि आपकी छुटट्री मंजुर हो जावेगी इसके बाद प्रार्थीया ने वाट्सऐप पर सूचना दी थी। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर ने प्रथम नोटिस दिनांक 14.08.2019, द्वितीय नोटिस दिनांक 21.08.2019 व तृतीय एवं अन्तिम नोटिस दिनांक 29.08.2019 को जारी किये गये जिसकी तामील प्रार्थीया के देवर सचिन से करवाई गई जो प्रार्थीया से रंजिश रखता है और प्रार्थीया को इस पद से हटवाना चाहता था जिसने प्रार्थीया को कोई सुचना नही दी जबकि सुपरवाईजर महोदय को भलीभांति विदित था कि ससुराल वालों ने प्रार्थीया को घर से निकाल रखा है और हनुमानगढ अपने माता–पिता के पास है और ससुराल वालो द्वारा मानसिक व शारीरिक रूप प्रताड़ित किया गया है जिससे प्रार्थीया बीमार चल रही है और इसके बावजूद भी सचिन (देवर) से नोटिस की तामील करवाई गई ताकि प्रार्थीया को हटाया जा सकें। प्रार्थीया को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और प्रार्थीया को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा ना ही नोटिस चस्पा किया गया। प्रार्थीया दिनांक 04.09.2019 को सुपरवाईजर से सम्पर्क किया गया तो डयुटी पर दिनांक 12.09.2019 को आने को कहा और एक खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाये गये और कहा की इस पर तेरी छुट्टीयां मंजुर करवानी है इसी विश्वास पर प्रार्थीया ने खाली पेज पर हस्ताक्षर कर दिया। दिनांक 12.09.2019 को जब प्रार्थीया डयुटी पर गई तो कार्यालय आदेश कमांक 6451 दिनांक 12.09.2019 मानदेय पर से हटाये जाने का दिया गया। प्रार्थीया जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रही बल्कि मजबुरीवंश अनुपस्थित थी। प्रार्थीया को नोटिस का कोई इलम नहीं करवाया गया। प्रार्थीया के सुसराल पक्ष ने रंजिश के कारण साजिश रचते हुए घर से निकाल दिया और स्वयं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ही नोटिस प्राप्त करके प्रार्थीया को हटवाया गया। प्रार्थीया के परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है प्रार्थीया के एक छोटा लड़का है जिसकी परवरीश करना प्रार्थीया के उपर भार है। प्रार्थीया व अपने बच्चे का भरणपोषण लिखाई पढ़ाई का वहन प्रार्थीया इस मानदेय से ही कर पाती है अन्य कमाई का कोई साधन नहीं है। प्रार्थीया भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं दोहरायेगी और अपने कर्तव्य का पुरी तरह से पालन करेगी। लिहाजा अपील विरूद्व आदेश क्रमांक 6451 दिनांक 12.09.2019 को निरस्त कर आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के पद पर पुनः नियुक्ति दिलाये तथा प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर ने अपनी बहस में कहा है कि आ.बा.केन्द्र वार्ड नम्बर 03, केसरीसिंहपुर में कार्यरत कार्यकर्ता श्रीमती पूजा दिनांक 01.08.2019 से दिनांक 28.08.2019 तक बिना सूचना के आंगनबाड़ी केन्द्र से अनुपस्थित रहने के कारण श्रीमती कुलदीप कौर महिला पर्यवेक्षक के द्वारा उक्त कार्यकर्ता को प्रथम नोटिस दिनांक 14.08.2019, द्वितीय नोटिस 21.08.2019 तथा तृतीय एवं अन्तिम नोटिस दिनांक 29.08.2019 को जारी कर 3 दिवस में कार्य पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त महिला बिना सूचना के केन्द्र से अनुपस्थित थी तथा घर पर नहीं मिलने के कारण उक्त तीनों नोटिस पूजा के परिवार वालों को महिला पर्यवेक्षक के द्वारा तामिल करवाये गये। श्रीमती पूजा के द्वारा दिनांक 04.09.2019 तक भी कार्यकर्ता केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 6407 दिनांक 04.09.2019 को अन्तिम नोटिस जारी कर दिनांक 11.09.2019 तक केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया जो स्वयं श्रीमती पूजा को तामिल करवाया गया था परन्तु श्रीमती पूजा दिनांक 12.09.2019 तक भी केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने के कारण केन्द्र पर आने वाले लाभार्थी विभागीय योजनाओं से वंचित रह रहे थे। दिनांक 12.09.2019 को भी श्रीमती पूजा के केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में श्रीमती कुलदीप कौर महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार कार्यालय के पत्रांक 6451 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा श्रीमती पूजा को मानदेय सेवा से पृथक किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से अपीलार्थीया को मानदेय से पृथक करने में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलार्थिया श्रीमती पूजा दिनांक 01.08.2019 से दिनांक 28.08.2019 तक बिना सूचना के आंगनबाड़ी केन्द्र से अनुपस्थित रहने के कारण श्रीमती कुलदीप कौर महिला पर्यवेक्षक के द्वारा उक्त कार्यकर्ता को प्रथम नोटिस दिनांक 14.08.2019, द्वितीय नोटिस 21.08.2019 तथा तृतीय एवं अन्तिम नोटिस दिनांक 29.08.2019 को जारी कर 3 दिवस में कार्य पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त महिला बिना सूचना के केन्द्र से अनुपस्थित थी तथा घर पर नहीं मिलने के कारण उक्त तीनों नोटिस पूजा के परिवार वालों को महिला पर्यवेक्षक के द्वारा तामिल करवाये गये। श्रीमती पूजा के द्वारा दिनांक 04.09.2019 तक भी कार्यकर्ता केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 6407 दिनांक 04.09.2019 को अन्तिम नोटिस जारी कर दिनांक 11.09.2019 तक केन्द्र पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया जो स्वयं श्रीमती पूजा को तामिल करवाया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गया था परन्तु श्रीमती पूजा दिनांक 12.09.2019 तक भी केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने के कारण केन्द्र पर आने वाले लाभार्थी विभागीय योजनाओं से वंचित रह रहे थे। दिनांक 12.09.2019 को भी श्रीमती पूजा के केन्द्र पर उपस्थित नहीं होने के सम्बन्ध में श्रीमती कुलदीप कौर महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार कार्यालय के पत्रांक 6451 दिनांक 12.09.2019 के द्वारा श्रीमती पूजा को मानदेय सेवा से पृथक किया गया है, वो विधिसम्मत् प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपलार्थीया की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर